GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

प्रवासन, शरणार्थी और नागरिकताः पूर्वोत्तर भारत के विशेष संदर्भ में

डा. राजबीर सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
राजधानी कॉलेज (दिल्ली विश्वविधालय)
राजा गार्डन, नई दिल्ली-110015
ई-मेलःrajbirsingh.du@gmail.com

सारांश

प्रवास, शरणार्थी और नागरिकता का प्रश्न राष्ट्र-राज्य और उसकी सीमाओं से जुड़े हुए हैं।इस शोध-पत्र में राष्ट्र-राज्य, शरणार्थी और नागरिकता के बीच संबंधों की पड़ताल की गई है।यह शोध-पत्र भारत के विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर - पूर्व के राज्यों में प्रवास और शरणार्थी जैसी चुनौतियों से निपटने के उपायों और प्रयासो के बारे में गहराई से विश्लेषण करता है।किसी भी राष्ट्र-राज्य में नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखना भी एक गंभीर चुनौति बन गया है। आज नागरिकता का प्रश्न भी हमारे सामने चुनौति बन कर खड़ा हो गया है। आज फिर से नागरिकता को नये संदर्भ में देखने की जरूरत है। आज सभी देश प्रवास, शरणार्थी और नागरिकता को एक नये रूप में समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी प्राथमिकता विभिन्न समुदायों एवं वर्गों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।भारत में भी प्रवास, शरणार्थी और नागरिकता का मुद्दा हाल के वर्षों में काफी चर्चा में रहा है। विशेषकर यह मुद्दा पूर्वोत्तर भारत की राजनीति पर काफी हावी रहा है ।सी.ए.ए. और नागरिक संशोधन संबंधी विधेयक या एन.आर.सी जैसे कानूनों ने इस प्रश्न को और अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया है।

मूल शब्दावली- *राष्ट्र-राज्य, सीमा, शरणार्थी, नागरिकता, प्रवासन, जबरन प्रवास, शरणार्थी आन्दोलन।*

प्रस्तावना

प्रवास, शरणार्थी एवं नागरिकता का अध्ययन ऐतिहासिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है। यह राष्ट्र-राज्य के उद्भव के साथ जुड़ा हुआ है।अर्थात् इसका राष्ट्र-राज्य के उद्भव के साथ मजबूत संबंध है।बेंडिक्ट एन्डरसन के अनुसार राष्ट्र व्यक्तियों का एक काल्पनिक समुदाय है जो कि पहचान की कुछ सामान्य चीजें साझा करते हैं तथा वे एक-दूसरे के प्रति अपनी वफादरी रखते हैं (एन्डरसन-2006)।जबकि राज्य का निर्माण विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही, न्यायालय और सेना से हुआ है और यह नागरिकों के बीच विवादों का निपटारा करता है, हिंसा पर नियंत्रण रखता है तथा संपत्ति के पुनर्वितरण, विनियमन एवं रक्षा के लिए भी जिम्मेदार है।

1930 के दशक में प्रवासियों का मुद्दा पूर्वोत्तर भारत की राजनीति पर काफी हावी रहा है। यह औपनिवेशिक काल के बाद क्षेत्र की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। 1979-85 के दौरान असम में विदेशी-विरोधी राष्ट्रीय आन्दोलन का यह केन्द्रीय मुद्दा था।पूर्वोत्तर भारत में जातीय या अन्य प्रवासियों को स्वदेशी समुदायों द्वारा 'बाहरी' कहा जाता है।यहाँ पर मोटे तौर पर विभिन्न आदिवासी और गैर-आदिवासियों के बीच अक्सर

https://www.gapbhasha.org/

GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

बाहरी-विरोधी या प्रवासी विरोधी आंदोलन देखा गया है।यहाँ पर चुनावों में भी प्रवासन एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है।खास कर पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय में।

प्रवासन, शरणार्थी और नागरिकता का अर्थ

प्रवासन या पलायन लंबी या छोटी अवधि के लिये रहने के लिए लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण है।शरणार्थी वह व्यक्ति है जिसे अपने मूल निवास स्थान से दूसरे देश में पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता है।विस्थापन के निम्न कारण है जैसे कि प्राकृतिक आपदाएँ, राज्य की नीतियाँ, बाहरी आक्रमण, सामाजिक संघर्ष आदि। नागरिक किसी देश के मूल निवासी होते हैं, जिन्हे उस देश में रहने को कानूनी अधिकार दिये जाते हैं, तथा राज्य द्वारा सभी प्रकार के अधिकारों का आनंद लेते हैं।शरणार्थियों को कभी-कभी उनके प्रवास के आधार पर नागरिकता दी जाती है और कभी-कभी वे स्थायी रूप से शरणार्थी के रूप में ही रहते हैं।नागरिकता जन्म, प्राकृतिकरण या आवेदन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।जब प्रवासियों का मेज्बानों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तब उन्हें पूर्ण रूप से नागरिकता प्रदान की जाती है जिसका अर्थ है कि मूल नागरिकों की तरह वे सभी अधिकारों का आनंद ले सकते हैं।

प्रवास (पलायन)

पूर्वोत्तर भारत में प्रवास या पलायन दो चरणों में शुरू हुआ था, एक औपनिवेशिक काल के दौरान और दूसरा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद।

स्वतंत्रता-पूर्व काल में प्रवासन

अविभाजित भारत के अन्य क्षेत्रों से पूर्वोत्तर भारत में प्रवास 19वीं सदी के तीसरे दशक में शुरू हुआ था।यह उन क्षेत्रों के कब्जे के बाद हुआ जो बाद में असम के रूप में गठित हुआ था। यह प्रवास अंग्रेजों के संरक्षण और प्रोत्साहन से हुआ था।उन्होंने अन्य क्षेत्रों के लोगों को जो कि विभिन्न आर्थिक और प्रशासनिक कार्यो में संलग्न थे उनको प्रोत्साहित किया था।भूमि को जोतना, चाय बागान में काम करना, अकुशल कार्य करना, सार्वजनिक संस्थानों में सेवा करना, सेना, व्यापार इत्यादि। औपनिवेशिक अधिकारियों ने महसूस किया कि किसानों का प्रवास बड़े पैमाने पर बंजर भूमि को जोतने और उस पर खेती करने के लिए ये आवश्यक था जो उन्होंने 1824 में असम के कब्जे के समय खोज की थी।कृषि को बढ़ावा देकर राजस्व उत्पन्न करने के लिये उन्होंने बंजर भूमि पर खेती करने का फैसला किया। इस उद्देश्य के लिये, औपनिवेशिक अधिकारियों ने पड़ोसी बंगाल के जिलों से प्रवासियों के साथ असम को आबाद करने और उन्हें असम की बंजर भूमि पर बसाने का निर्णय लिया। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अन्य देशों से चाय बागान में काम करने के लिये मजदूरों की भर्ती की।इसके अलावा, भूमि और चाय बागान के लिये उत्तर-पूर्व में श्रमिकों, व्यापारियों, डेयरी किसानों, कारीगरों, सट्टेबाजों का प्रवास था।असम के बाहर लोगों का प्रवास इस प्रकार की जनसंख्या को बदलने में सक्षम था।

स्वतंत्रता के बाद की अवधि में प्रवासन

विभाजन के बाद जो लोग अन्य क्षेत्रों से पूर्वोत्तर भारत में चले गये थे उन्हें तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया हैः- प्रवासी, शरणार्थी और अवैध प्रवासी। शरणार्थी की परिभाषा इस प्रकार हैः- एक व्यक्ति जो अपने देश से दूसरे देश में प्रवास करता हैं, पाकिस्तान के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश बन गया है। वहाँ पर

https://www.gapbhasha.org/

प्रवासियों को शरणर्थियों के रूप में वर्गीकृत किया जाने लगा।पड़ोसी देशों जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान या म्यांमार के शरणार्थियों एवं अवैध प्रवासियों के अलावा, भारत के अन्य क्षेत्रों से भी स्वतंत्रता के बाद प्रवास जारी रहा था।श्रमिकवर्ग, सफेदपोश श्रमिक, कुशल एवं अकुशल श्रमिक बल, प्रबंधकीय समूह, उधमी, व्यवसायी, व्यापारी इत्यादि इसमें शमिल हैं।चाय संपदा गुवाहाटी, डिग्बोई, और बोंजाईगाँव तेल रिफाईनरी, तृतीयक क्षेत्र अवसंचनात्मक जरूरतों को शामिल करने जैसे कि सड़क का विस्तार, अन्य क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों को आकर्षित किया।पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में शैक्षिक संस्थाएँ जैसे कि केन्द्रीय विश्वविधालय तथा अन्य सरकारी कार्यालय जैसे कि रेलवे, डाक, बैंकिंग क्षेत्र, टेलीफोन क्षेत्र इत्यादि में भी पूर्वोत्तर भारत में देश के अन्य भागों से मध्यम वर्ग कर्मचारियों को प्रवास आकर्षित किया था।

शरणार्थी

1947 में देश के विभाजन के बाद असम में शरणार्थियों का प्रवेश शुरू हुआ था। वास्तव में जो लोग जिन्हें पूर्व में ब्रिटिश भारत के अन्य भाग से असम में प्रवासी माना जाता था, वे 1947 और 1971 में पूर्वी बंगाल और बांग्लादेश बन जाने पर शरणार्थी के रूप में जाना जाने लगा।शरणार्थी वे हैं जो अन्य देशों से विस्थापित प्रवासी हैं।भारत का विभाजन और सांप्रदायिक दंगों ने बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित किया था (हिन्दू) पूर्वी पाकिस्तान में। विस्थापित लोग शरणार्थी के तौर पर असम चले गये।शरणर्थियों की पहली पर्याप्त आमद 1946 में नोआखली दंगों के बाद हुई थी।शरणार्थियों की संख्या दंगों के बाद काफी कम हो गयी थी। 8 अप्रैल, 1950 के नेहरू लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद शरणार्थियों की संख्या में गिरावट आई।नेहरू लियाकत समझौते ने दोनों देशों में सुरक्षा, स्वतंत्रता एवं अल्पसंख्यकों की संपत्ति की रक्षा को प्रशसत किया था। लेकिन नेहरू लियाकत समझौते ने भी असम में शरणार्थियों के आगमन की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई। 1971-72 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान, लाखों शरणार्थियों ने असम एवं बंगाल मे प्रवेश लिया था। जबकि उनमें से कुछ बाद में वापस लौट आये, लेकिन ऐसा माना गया है कि उनकी बहुत बड़ी आबादी वापस नहीं आई और वहीं पर इन प्रांतों में बस गई थी।त्रिपुरा में बंगाली शरणार्थियों के कारण वहाँ की भौगोलिक स्थिति काफी बदल गई थी।

नागरिकता के मुद्दे का उभरना

असम में नागरिकता का मुद्दा 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के तुरंत बाद सामने आया।विभाजन के पश्चात भी असम में अवैध प्रवास की शिकायतें मिलने लगीं।भारत सरकार ने विभाजन के बाद नागरिकता के सवाल पर अलग-अलग उपाय किये थे।इनमें विदेशी अधिनियम (1948), विदेशी ऑर्डर 1948, अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम 1950, नागरिकता अधिनियम 1955, परमिट प्रणाली, पी.आई.पी. (पाकिस्तानियों की घुसपैठ की रोकथाम) योजना 1965, विदेशी (ट्रिब्यूनल) आदेश 1964, विदेशी (ट्रिब्यूनल) संशोधन आदेश 2012, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920, नागरिकता (नागरिक का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम 2003, नागरिकता नियम 2009, विदेशी न्यायाधिकरण और अवैध प्रवासी (निर्धारण न्यायाधिकरण) और अवैध प्रवासी (निर्धारण ट्रिव्यूनल) अधिनियम 1983 शामिलहै।

1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एन.आर.सी.) को असली भारतीय नागरिक के रिकॉर्ड रखने के लिये असम में तैयार किया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें नागरिकता की परिकल्पना को भारत में संविधान के लागू होने के पांच साल बाद किया गया था।भारतीय संविधान के निर्माताओं ने नागरिकता की पूरी संहिता नहीं दी और नागरिकता के विनियमन और संशोधन के लिए संसद को अधिकृत किया गया था।इस लिए संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार 1955 मे संसद ने नागरिकता के लिए एक व्यापक कानून पारित किया था। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य था भारत की नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति को प्रदान करना।इस

https://www.gapbhasha.org/

कानून के प्रावधानों को व्यापक रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।नागरिकता का अधिग्रहण, नागरिकता को समाप्त करना तथा पूरक प्रावधान।यह अधिनियम भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिये पांच तरीकों का जिक्र करता है- ये हैं- जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण और क्षेत्रीय नियमन द्वारा।यह अधिनियम त्याग, समाप्ति एवं नागरिकता के नुकसान का भी प्रावधान करता है।भारत के नागरिकता अधिनियम 1955 ने देश के पिछले इतिहास और भूगोल का उचित ध्यान रखा जो दो सौ वर्षों से स्वतंत्रता के दौरान औपनिवेशिक शासन और विभाजन से गुजरा था। जो भारत के कुछ हिस्सों के निवासी थे और अब वे एक स्वतंत्र एवं संप्रभुदेश बन गया, भारतीय नागरिक से वंचित नहीं थे- यदि उन्होंने भारत के इस भाग में प्रवास करने का निर्णय लिया। 1985 में असम समझौते के प्रावधानों पर हस्ताक्षर के बाद नागरिकता कानूनों को बदल दिया गया था।इन परिवर्तनों के अनुसार, जो लोग 1971 से पहले बांग्लादेश से यहां चले आये थे वे भारत के नागरिक माने जाते हैं।नागरिकता, नागरिकों को अधिकार देने और गैर-नागरिकों जैसे कि प्रवासियों को इससे वंचित रखना दोनों ही है।असम समझौते में अवैध प्रवासियों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया गया है जो 24 दिसम्बर 1971 के बाद अवैध तरीके से घुसपैठ की थी।हालांकि वह धारा जो 1 जनवरी 1966 और 24 दिसम्बर 1971 के बीच अवैध रूप से घुसपैठ करती है, उसे निर्वासित नहीं किया जा सकता और इस साल के अंतराल के बाद भारतीय नागरिकता दिया जाना था। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति को अवैध घोषित करने के लिये अप्रवासी को यह साबित करना होगा कि वह भारत का निवासी नहीं है, और उसने भारत में बिना किसी भाषा, धर्म के वह वहां रहा, लेकिन किसी के पास यह दिखाने के लिये दस्तावेज नहीं कि वह भारत का निवासी है, इसलिए वह वैध नागरिक है।देश के नागरिकता कानूनों के अनुसार उस पर विदेशी नागरिक होने या अवैध प्रवासी होने के नाते उन पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। इसके बावजूद असम ने यह शिकायत करना जारी रखा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासियों का प्रवेश एवं उपस्थिति है।

एन.आर.सी. और सी.ए.ए., 2019

एन.आर.सी. और सी.ए.ए. दोनों कानून नागरिकता के बारे में है।जैसा कि पहले कहा गया है कि एन.आर.सी. को पहली बार 1951 में तैयार किया गया था।नागरिकता संशोधन कानून, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था जोकि 1955 के नागरिकता कानून को संशोधित करना था।सी.ए.ए. धार्मिक रूप से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने को प्रस्तावित है।जैसे कि हिन्दू, सिख, बौध्द, जैन या ईसाई, विशेषकर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान से।एन.आर.सी. एक समसामयिक रजिस्टर है- जिसे जनगणना के तहत नियुक्त कर्मचारियों द्वारा तैयार किया जाता है। 2005 में एन.आर.सी. को अपग्रेड करने का प्रस्ताव था।

यह प्रस्ताव आसू, असम सरकार और केन्द्र सरकार के बीच बैठक में बनाया गया था।इस का तात्कालिक संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की त्रिपक्षीय बैठक थी जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 के आई.एम.डी.टी. अधिनियम को निरस्त कर दिया था सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक याचिका के दायर करने के बाद आया था जिसे सर्वानंद सोनोवाल ने आई.एम.डी.टी. को चुनौती देते हुए दायर की थी।उसके बाद कई बैठकें हुई 2011 एवं 2013 में नागरिकता के मुद्दे पर चर्चा करने के लिये, जिसे उस वक्त के मुख्यमंत्री तरूण गोगोई ने एन.आर.सी को अपडेट किया था।लेकिन 2012 में गोगोई सरकार द्वारा एन.आर.सी. सिलसिला रोक दिया गया था जब 2012 और 2014 में घुबरी और गोलपारा में मुस्लिम एवं बोडो आदिवासियों के बीच दंगों के बाद विरोध प्रदर्शन हुए थे।

2014 में, असम सम्मिलित नामक एक नये संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जिसे भारत में नागरिकता के कानून की संवैधानिक स्थिति की जांच करने के लिये दायर की थी और असम के लिये 1951 में तैयार किये गये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपग्रेड करने के लिये की गई थी।सर्वोच्च न्यायालय ने

https://www.gapbhasha.org/

दिसंबर 2014 में इस याचिका पर फैसला सुनाया था जिसमें एन.आर.सी. को अपग्रेड करने की अनुमति दी थी और अवैध अप्रवासी के मुद्दे को हल किया गया था।

2014 के सर्वोच्य न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर, असम सरकार ने एन.आर.सी. की गणना का कार्य शुरू किया था। एन.आर.सी.गणना का परिणाम 2019 में घोषित हुआ।जिसमें करीब 19 लाख से अधिक असम की आबादी को अवैध घोषित किया गया था।इसी तरह 2019 में एक अलग विधेयक भारत सरकार ने पारित किया था जिसे सी.ए.ए. कहते हैं।इसमें पांच उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान था जो कि तीन देशों से थी जो 2014 से पहले भारत में आये थे। 2019 के सी.ए.ए. का सभी राज्यों ने विरोध किया था।विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्यों ने क्योकि उनका मानना था कि इस प्रावधान से शरणर्थियों को भी नागरिकता प्रदान की जायेगी, जो उनके क्षेत्र से बाहर जाना चाहते हैं।देश के अन्य भागों में इसे इस आधार पर विरोध किया गया कि इनमे मुसलमानों को बाहर रखा गया है, जिससे-हमारे भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता आत्मा का उल्लंघन भी है।सी.ए.ए. 2019 इसी प्रकार का एक प्रयास है।

निष्कर्ष

प्रवासन, शरणार्थी और नागरिक राजनीतिक और लोकप्रिय विषय में पूर्वोत्तर भारत के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।प्रवासन का मतलब है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आना-जाना। शरणार्थी वे लोग हैं जो अपने मूल निवास स्थान से दूसरे देश में प्रवास करते हैं, क्योंकि एक जातीय समूह के रूप में उन्हें उत्पीड़न, राज्य की नीतियों के कारण विस्थापन, सामाजिक संघर्ष और बाहरी आक्रमण आदि के कारण अपना निवास स्थान छोड़ने को मजबूर होते हैं।औपनिवेशिक काल के दौरान, औपनिवेशिक अधिकारियों ने अन्य क्षेत्रों के लोगों को प्रोत्साहित किया। उनके क्षेत्र में प्रवास के लिए ताकि वे प्रशासनिक एवं आर्थिक गतिविधियां चला सकें।
विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश से आये प्रवासी को शरणार्थी, अवैध प्रवासी या घुसपैठिये के रूप में जाना जाने लगा था। पूर्वोत्तर भारत में प्रवास एक संघर्ष का स्त्रोत रहा है।असम में बांग्लादेश के प्रवासी आर्थिक समस्याओं और पहचान संकट के मुख्य स्त्रोत के रूप में देखे जाते हैं।असम में पलायन 1979-85 के विदेश विरोधी आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था और आदिवासी राज्यों में इसके परिणामस्वरूप जातीय संकट पैदा हो गया था। 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद, नागरिकता असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीति में एक केन्द्रीय मुद्दा बन गई थी।असम समझौतें भी विदेशियों के मुद्दे को नहीं सुलझा सका। 2005 में, यह नागरिकता के सवाल के साथ जुड़ गया। एक त्रिपक्षीय बैठक राज्य सरकार ने 1951 की एन.आर.सी. को अपग्रेड करने का संकल्प लिया, जिसमें यह कमियाँ थी। 2014 में याचिका पर निर्णय देते हुए सर्वोच्य न्यायालय ने असम सरकार को निर्देश दिया कि वह एन.आर.सी. तैयार करेगी।एन.आर.सी. 2019 में तैयार की गई थी (जिसमें बहुत सारी कमियां थी)। इस बीच भारत सरकार ने 2019 में नागरिकता प्रदान करने के लिये सी.ए.ए. पारित किया, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों जिन्होंने 2014 से पहले प्रवेश लिया था, उन्हें नागरिकता प्रदान की जायेगी।सी.ए.ए. को पूर्वोत्तर भारत में विरोध का सामना करना पड़ा।इस आशंका पर कि यह क्षेत्रों में विदेशियों की घुसपैठ की आवाजाही को प्रोत्साहित करेगा।

संदर्भ

[1] एन्डरसन, बी. (2006), इमेजिन्ड कम्युनिटिज, रिफलैक्शनस ओन द ओरिजन्स एन्ड स्प्रैड ऑफ नेशनेलिज़्म, लंदन, वर्सो।

https://www.gapbhasha.org/

[2] बरुआ, संजीव (1999), इड़िया अगेंस्ट इटसेल्फःअसम एन्ड द पोलिटिक्स ऑफ नेशनिलिटि, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नईदिल्ली
[3] घोष, पार्था, एस. (2016), माईग्रेन्टस, रिफ्यूजीज एन्ड द स्टेटलैस इन साउथ एशिया, सेज प्रकाशन, दिल्ली
[4] गुहा, अमलेंद (1977), प्लांटर राज टू स्वराजः फ्रीडम स्ट्रगल एण्ड इलेक्टोरल पोलिटिक्स, आई.सी.एच.आर. नईदिल्ली
[5] सजल नाग (2018), "दएन.आर.सी.: एथनिक क्लीसिंग थ्रू, कंस्टीट्यूशनल मीन्स"एनालीटिकल मंथली रिव्यू, सितम्बर, वो 16 नं 6
[6] सज़ल नाग (2016), बिलिगर्ड नेशन: द् मेकिंग एण्ड अनमेकिंग ऑफ असमिज नेशनेलिटी, मनोहर दिल्ली।
[7] शमसाद, रिज़वान (2017), बांग्लादेश माईग्रेन्ट्स इन इंडियाः फोरनर्स, रिफ्यूजी और, इनफिलट्रेटर्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।

https://www.gapbhasha.org/